रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230863
CG-DL-E-01112021-230863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4223] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
No. 4223] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

(आय-कर)

का.आ. 4584(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245घ की उपधारा (11) और उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम "ई-समझौता स्कीम, 2021" है ।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं—इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अप्रेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उसका है ;

(ग) "आवेदक" से ऐसा निर्धारिती अभिप्रेत है, जिसने अधिनियम की धारा 245ग के अधीन आवेदन फाइल किया था और ऐसा आवेदन एक लंबित आवेदन है ;

(घ) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में उसका है ;

(ङ) “स्वचालित आबंटन प्रणाली” से विवेकाधिकार को समाप्त करने और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने की दृष्टि से, उपयुक्त प्रौद्योगिकीय साधनों, जिनके अंतर्गत कृत्रिम आसूचना और मशीन अधिगम भी है, का प्रयोग करके, मामलों के यादृच्छिक आबंटन के लिए विधिविशेष अभिप्रेत है ;

(च) “कम्प्यूटर संसाधन” का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में उसका है ;

(छ) “कम्प्यूटर प्रणाली” का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसका है ;

(ज) “पदभिहित पोर्टल” से, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा उस रूप में पदाभिहित वेब पोर्टल अभिप्रेत है ;

(झ) “अंकीय हस्ताक्षर” का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में उसका है ;

(ञ) “इलैक्ट्रानिक ढंग” से ई-मेल, वीडियो-टेलीफोनी या वीडियो कान्फ्रेंसिंग या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कोई संसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) “इलैक्ट्रानिक अभिलेख” का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में उसका है ;

(ठ) “ई-मेल” या “इलैक्ट्रानिक मेल” से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संसूचना युक्ति पर सृजित या पारेषित या प्राप्त कोई मैसेज या सूचना अभिप्रेत है, जिसमें मैसेज के साथ पारेषित टेक्स्ट, इमेज, आडियो, वीडियो या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं ;

(ड) “ई-समझौता” से ऐसा समझौता अभिप्रेत है, जहां कार्यवाहियां इलैक्ट्रानिक रूप से संचालित की जाती हैं;

(ढ) “अंतरिम बोर्ड” से अधिनियम की धारा 245कक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित अंतरिम समझौता बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ण) “लंबित आवेदन” का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 245क के खंड (ङख) में उसका है ;

(त) “रजिस्टर्ड ई-मेल पता” से ऐसा ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर इलैक्ट्रानिक संसूचना प्रेषिती को परिदत्त या पारेषित की जा सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है,--

(i) पदाभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलैक्ट्रानिक-फाइलिंग लेखा में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ii) प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आय-कर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(iii) प्रेषिती से संबंधित स्थायी लेखा संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(iv) ऐसे प्रेषिती की दशा में, जो एक ऐसा व्यष्टि है, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्टता पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता ;

(v) ऐसे प्रेषिती की दशा में, जो कंपनी है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की शासकीय वेबसाइट पर यथा उपलब्ध कंपनी का ई-मेल पता ; या

(vi) ऐसे प्रेषिती द्वारा, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता ;

(थ) “समझौता” से अधिनियम के अध्याय 19क के अधीन समझौता अभिप्रेत है ;

(द) “नियम” से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है ;

(ध) “वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो-टेलीफोनी” से लोगों के बीच तत्काल संवाद के लिए, भिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ताओं द्वारा ओडियो वीडियो सिग्नलों की प्राप्ति और पारेषण के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।

3. स्कीम का कार्यक्षेत्र— यह स्कीम ऐसे लंबित आवेदनों को लागू होगी, जिनके संबंध में आवेदक ने अधिनियम की धारा 245ड की उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है और जिन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अंतरिम बोर्ड को आवंटित किया गया है या अंतरित किया गया है ।

4. अन्तरिम बोर्ड— (1) अंतरिम बोर्ड, पैरा 3 के अधीन उसे आवंटित या अंतरित लंबित आवेदनों का, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार ई-समझौता संचालित करेगा ।

(2) अंतरिम बोर्ड के पास, ऐसे आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यपालक या अंतरिम बोर्ड के सदस्यों की सहायता करने के लिए परामर्शदाता होंगे, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं ।

5. लंबित आवेदनों का आवंटन— यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुमोदन से, अंतरिम बोर्डों को, पैरा 3 में निर्दिष्ट लंबित आवेदनों को यादृच्छिक रूप से आवंटित या अंतरित करने की प्रक्रिया को तैयार करेगा ।

6. समझौता संबंधी प्रक्रिया— अंतरिम बोर्ड को आवंटित या अंतरित लंबित आवेदनों की समझौते संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :--

(i) अंतरिम बोर्ड, यथास्थिति, उसके मामले के उसे आवंटित या अंतरित करने के बारे में आवेदक को सूचित करेगा ;

(ii) अंतरिम बोर्ड, प्रधान आयुक्त या आयुक्त से अभिलेख मंगा सकेगा तथा पैरा 7 में निर्दिष्ट आवश्यक सूचना, दस्तावेज, साक्ष्य, रिपोर्ट और अतिरिक्त तथ्य प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित कर सकेगा तथा इसे और जांच या अन्वेषण करने या करवाने के लिए निदेश दे सकेगा और अधिनियम की धारा 245 घ की उपधारा (3) के अनुसार या उसके अधीन अनुज्ञात समय के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(iii) जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त खंड (ii) में निर्दिष्ट रिपोर्ट निश्चित समय के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो अंतरिम बोर्ड उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अधिनियम की धारा 245 घ की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने की कारवाही कर सकेगा;

(iv) जहां खंड (ii) में यथानिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा फाइल की गई है, अंतरिम बोर्ड ऐसी रिपोर्ट को आवेदक को अग्रेषित करेगा तथा विनिर्दिष्ट तारीख और समय या ऐसे विस्तारित तारीख और समय के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जा सके, ऐसी रिपोर्ट का लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निवेदन आवेदक से करेगा ;

(v) जहां आवेदक खंड (iv) में यथानिर्दिष्ट उत्तर को विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, अंतरिम बोर्ड उस उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने की कार्यवाही कर सकेगा ;

(vi) अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवसर अंतरिम बोर्ड द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी की माध्यम से प्रदान किया जाएगा ;

(vii) अंतरिम बोर्ड खंड (vi) में निर्दिष्ट अवसर प्रदान करने के पूर्व, खंड (iv) में निर्दिष्ट उत्तर, यदि आवेदक से प्राप्त होता है, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित करेगा ;

(viii) आवेदन की सुनवाई के समय आवेदक के लिए उपस्थित होने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई के प्रारंभ के पूर्व आवेदक के लिए उसे उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत करने वाला एक दस्तावेज फाइल करेगा यदि वह आवेदक का नातेदार है, दस्तावेज आवेदक के साथ उसकी नातेदारी की प्रकृति का कथन करेगा या यदि वह आवेदक द्वारा नियमित रुप से नियोजित व्यक्ति है तो वह हैसियत जिसमें उसे उस समय नियोजित किया गया है ;

(ix) अंतरिम बोर्ड, ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे और कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर आवेदन की सुनवाई या उससे उद्भूत होने वाले किसी विषय की सुनवाई स्थगित कर सकेगा ;

(x) आवेदक तथा प्रधान आयुक्त या आयुक्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से सुनने के पश्चात् तथा सभी सूचना, दस्तावेज, अभिलेख, रिपोर्ट और इसके साथ साक्ष्य का परीक्षण करने के पश्चात्, अंतरिम बोर्ड अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ;

(xi) उपखंड (x) के अधीन तत्पश्चात पारित आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त को एक प्रति के साथ आवेदक को रजिस्ट्रीकृत ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा ;

(xii) उपखंड (x) के अधीन पारित आदेश अधिनियम की धारा 245 घ की उपधारा (6ख) के अधीन या तो स्वतः ही या आवेदक अथवा प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा आवेदन करने पर अंतरिम बोर्ड द्वारा संशोधित किया जा सकेगा;

(xiii) अधिनियम के अध्याय 19 – क के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्डों को आबंटित या अंतरित लंबित आवेदनों को लागू होंगे ।

7. अतिरिक्त तथ्यों का सत्यापन – जहां अंतरिम बोर्ड के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान समझौता आवेदन में अंतर्विष्ट नहीं किए गए कोई तथ्य (जिसके अंतर्गत उपाबंध और कथन तथा ऐसे उपाबंध के साथ अन्य दस्तावेज भी है) विश्वास करने के लिए ईप्सित हैं, उन्हें लिखित में अंतरिम बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उनका सत्यापन उसी रीति में किया जाएगा जो समझौता आवेदन में उपबंधित है ।

8. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला न होना – अंतरिम बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होगीं तथा (आवेदक, उसका कर्मचारी, अंतरिम बोर्ड या आयकर प्राधिकारी के संबंधित अधिकारी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न) कोई भी व्यक्ति अंतरिम बोर्ड की अनुज्ञा के बिना ऐसी कार्यवाहियों के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी पर भी उपस्थित नहीं रहेगा ।

9. अंतरिम बोर्ड की ओर से संसूचना – (1) वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से सुनवाई का अवसर अंतरिम बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा सुकर किया जाएगा जो आवेदक तथा संबंधित पक्षकारों को अग्रिम लिंक और पासवर्ड प्रदान करेगा ।

(2) अंतरिम बोर्ड की आंतरिक और बाहरी सभी संसूचनाएं अंतरिम बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

10. संसूचना का अनन्य रुप से इलैक्ट्रानिक ढंग से होना – (1) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए –

(क) अंतरिम बोर्ड और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचनाएं इलैक्ट्रानिक ढंग से विनिमय की जाएंगी; और

(ख) अंतरिम बोर्ड और प्रधान आयुक्त या आयुक्त के बीच सभी संसूचनाएं इलैक्ट्रानिक ढंग से विनिमय की जाएंगी :

परंतु अंतरिम बोर्ड द्वारा इलैक्ट्रानिक ढंग से भिन्न किसी ढंग में प्राप्त कोई आवेदन प्रौद्योगिकी रुप से साध्य सीमा तक प्रधान आयुक्त या आयुक्त को इलैक्ट्रानिक रुप से अग्रेषित किया जा सकेगा ।

(ग) अंतरिम बोर्ड से इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना आवेदक के पते पर आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल से भेजा जाएगा ।

(घ) आवेदक या प्राधिकृत प्रतिनिधि अंतरिम बोर्ड को इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते से फाइल करेगा ।

(ड़) प्रधान आयुक्त या आयुक्त अंतरिम बोर्ड को इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर शासकीय इलैक्ट्रानिक मेल सुविधा के माध्यम से फाइल करेगा ।

11. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक अभिलेख निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा –

(i) अंतरिम बोर्ड, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके ;

(ii) आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उसके डिजिटल हस्ताक्षर करके यदि वह डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियमों के अधीन अपेक्षित है और किसी अन्य मामले में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित करके ।

12. अंतरिम बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित न होना – (1) आवेदक को इस स्कीम के अधीन अंतरिम बोर्ड के समक्ष या आयकर प्राधिकारी अथवा अंतरिम बोर्ड के पास तैनात मंत्री कर्मचारिवृंद के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में या तो व्यक्तिगत रुप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ऐसे स्थानों पर जहां आवश्यक हो वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करेगा जिसके अंतर्गत दूरसंचार अनुप्रयोग सोफ्टवेय़र भी है जो वीडियो टेलिफोनी का समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि इस स्कीम के फायदे से मात्र इस आधार पर वंचित न हो कि ऐसे आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की उसकी ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग तक पहुंच नहीं है ।

13. अंतरिम बोर्ड की भाषा – (1) अंतरिम बोर्ड के समक्ष सभी अभिवचन आवेदक के विकल्प पर हिंदी या अंग्रेजी में हो सकेंगे ।

(2) अंतरिम बोर्ड के सभी आदेश और अन्य कार्यवाहियां अंतरिम बोर्ड के विकल्प पर हिंदी या अग्रेंजी में हो सकेंगी ।

14. अंतरिम बोर्ड के आदेशों का प्रकाशन – अंतरिम बोर्ड अपने विवेक से आदेशों या अंतरिम बोर्ड के निर्णयों को अंतर्विष्ट करने वाले हिस्सों के प्रकाशन को नामों और उनमें अन्य विशिष्टियों के संबंध में ऐसे उपांतरणों के साथ निदेशित करेगा जो वह ठीक समझे ।

[अधिसूचना सं. 129/2021/फा. सं. 370142/52/2021-टीपीएल (भाग-IV)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधायन

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2021

(INCOME-TAX)

S.O. 4584(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) and (12) of section 245D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the e-Settlement Scheme, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,**—**

(a) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(b) "addressee" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(c) "applicant" means the assessee who had filed an application under section 245C of the Act and such application is a pending application;

(d) "authorised representative" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act;

(e) "automated allocation system" means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to eliminate discretion and optimise the use of resources;

(f) "computer resource" shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(g) "computer system" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(h) "designated portal" means the web portal designated as such by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be;

(i) "digital signature" shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(j) "electronic mode" means any communication by way of an e-mail, video-telephony or video conferencing or any other electronic media;

(k) "electronic record" shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(l) "email" or "electronic mail" means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message;

(m) "e-Settlement" means the settlement where proceedings are conducted electronically;

(n) "Interim Board" means the Interim Board for Settlement constituted by the Central Government under section 245AA of the Act;

(o) "pending application" shall have the meaning as assigned to it in clause (eb) of section 245A of the Act;

(p) "registered e-mail address" means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including-

(i) the email address available in the electronic filing account of the addressee registered in the designated portal; or

(ii) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or

(iii) the e-mail address available in the Permanent Account Number database relating to the addressee; or

(iv) in the case of addressee being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of addressee available in the database of Unique Identification Authority of India; or

(v) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of Ministry of Corporate Affairs; or

(vi) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority;

(q) "settlement" means the settlement under Chapter XIX-A of the Act;

(r) "Rules" means the Income-tax Rules,1962;

(s) "video conferencing or video telephony" means the technological solutions for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations, for communication between people in real-time.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Scope of the Scheme.—This Scheme shall be applicable to pending applications in respect of which the applicant has not exercised the option under sub-section (1) of section 245M of the Act and which has been allotted or transferred by Central Board of Direct Taxes to an Interim Board.

4. Interim Board.–(1) The Interim Board shall conduct e-settlement of pending applications allocated or transferred to it under paragraph 3, in accordance with the provisions of this Scheme.

(2) The Interim Board shall have such income-tax authority, ministerial staff, executive or consultant to assist the members of the Interim Board, as considered necessary by Central Board of Direct Taxes.

5. Allocation of pending applications.-The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income tax (Systems), as the case may be, shall, with the approval of Central Board of Direct Taxes, devise a process to randomly allocate or transfer the pending applications, referred to in paragraph 3, to the Interim Boards.

6. Procedure for settlement.—The procedure for settlement of pending applications allotted or transferred to an Interim Board shall be as per the following, namely:-

(i) the Interim Board shall intimate the applicant about the allocation or transfer, as the case may be, of his case to it;

(ii) the Interim Board may call for the records from the Principal Commissioner or the Commissioner and may forward the necessary information, document, evidence, report and additional facts referred to in paragraph 7 to the Principal Commissioner or the Commissioner and direct it to make or cause to be made further enquiry or investigation and furnish a report in accordance with and within the time allowed under sub-section (3) of section 245D of the Act;

(iii) where the Principal Commissioner or the Commissioner fails to furnish the report as referred to in clause (ii), within the time, the Interim Board may proceed to pass the order under sub-section (4) of section 245D of the Act, without waiting for that report;

(iv) where the report as referred to in clause (ii) has been furnished by the Principal Commissioner or the Commissioner, the Interim Board shall forward such report to the applicant and request the applicant to submit written response to such report within the date and time specified or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf;

(v) where the applicant fails to furnish the response as referred to in clause (iv) within the specified time, or within the extended time, the Interim Board may proceed to pass the order under sub-section (4) of section 245D of the Act, without waiting for that response;

(vi) the opportunity referred to in sub-section (4) of section 245D of the Act shall be provided by the Interim Board through video conferencing or video telephony;

(vii) the Interim Board shall before providing opportunity referred to in clause (vi), forward the response referred to in clause (iv), if received from the applicant, to the Principal Commissioner or the Commissioner;

(viii) an authorised representative appearing for the applicant at the time of hearing of an application shall file before the commencement of the hearing a document authorising him to appear for the applicant and if he is a relative of the applicant, the document shall state the nature of his relationship with the applicant, or if he is a person regularly employed by the applicant, the capacity in which he is employed at that point in time;

(ix) the Interim Board may, on such terms as it thinks fit and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the application or any matter arising therefrom;

(x) after hearing the applicant and the Principal Commissioner or the Commissioner, through video conferencing or video telephony, and after examination of all the information, document, record, report and evidence with it, the Interim Board shall pass order under sub-section (4) of section 245D of the Act;

(xi) the order passed under clause (x) shall be delivered to the applicant vide the registered e-mail address along with a copy to the Principal Commissioner or the Commissioner;

(xii) the order passed under clause (x) may be rectified by the Interim Board under sub-section (6B) of section 245D of the Act either *suo motu* or on an application made by the applicant or the Principal Commissioner or the Commissioner;

(xiii) the provisions of Chapter XIX-A of the Act shall *mutatis mutandis* apply to pending applications allotted or transferred, to the Interim Boards.

7. Verification of additional facts.— Where in the course of any proceedings before the Interim Board any facts not contained in the settlement application (including the annexure and the statements and other documents accompanying such annexure) are sought to be relied upon, they shall be submitted to the Interim Board in writing and shall be verified in the same manner as provided for in the settlement application.

8. Proceedings not open to the public.— The proceedings before the Interim Board shall not be open to the public and no person (other than the applicant, his employee, the concerned officers of the Interim Board or the Income-tax authority or the authorised representatives) shall, without the permission of the Interim Board, remain present during such proceedings, even on video conferencing or video telephony.

9. Communication on behalf of the Interim Board.— (1) The opportunity for hearing through video conferencing or video telephony shall be facilitated by any Income-tax Authority as authorised by the Interim Board, who will provide the link and password to the applicant and concerned parties in advance.

(2) All communication of the Interim Board inward and outward shall be carried out by any Income-tax Authority as authorised by the Interim Board.

10. Communication exclusively by electronic mode.—(1) For the purposes of this Scheme,-

(a) all communications between the Interim Board and the applicant, or his authorised representative, shall be exchanged by electronic mode;

(b) all communications between the Interim Board and the Principal Commissioner or the Commissioner shall be exchanged by electronic mode:

Provided that any application received in a mode other than electronic mode by the Interim Board may be forwarded to the Principal Commissioner or the Commissioner electronically, to the extent technologically feasible.

(c) every notice or order or any other electronic communication under this Scheme from the Interim Board shall be delivered to the addressee, being the applicant by sending an e-mail to the registered email address of the applicant or his authorised representative;

(d) the applicant or the authorised representative shall file his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, to the Interim Board through his registered e-mail address; and

(e) the Principal Commissioner or the Commissioner shall file his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, to the Interim Board through official electronic mail facility.

11. Authentication of electronic record.—For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by the—

(i) the Interim Board, the Principal Commissioner or the Commissioner, by affixing its digital signature;

(ii) the applicant or his authorised representative, by affixing his digital signature if he is required under the Rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case, by communicating through his registered e-mail address.

12. No personal appearance before the Interim Board.—(1) The applicant shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under this Scheme before the Interim Board or before any Income-tax Authority or ministerial staff posted with the Interim Board.

(2) Central Board of Direct Taxes shall establish suitable facilities for video conferencing including telecommunication application software which supports video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the applicant, or his authorised representative, is not denied the benefit of this Scheme merely on the ground that such applicant or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing at his end.

13. Language of the Interim Board.— (1) All pleadings before the Interim Board may, at the option of the applicant, be in Hindi or in English.

(2) All orders and other proceedings of the Interim Board may, at the option of the Interim Board, be in Hindi or in English

14. Publication of orders of the Interim Board.—The Interim Board, at its discretion, direct the publication of orders or portions containing the rulings of the Interim Board with such modifications as to names and other particulars therein, as it may deem fit.

[Notification No. 129/2021/ F.No. 370142/52/2021-TPL (Part IV)]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation Division

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.01 22:01:58 +05'30'